कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

आवश्यक सूचना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2025–26 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के संबंध में अवधि विस्तार

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पड़ोस के (क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 कि.मी.अंततः 6 कि. मी. दूरी सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000 से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 309 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में PR-347776 HUMAN RESOURCE द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से कार्यालय के वेवसाईट **rteranchi.in** पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि **10.04.2025** को विस्तारित करते हुए **20.04.2025**तक निर्धारित किया जाता है। शेष अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

11/04/25

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची

11/04/2025

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची

ज्ञापांक 1120 राँची दिनांक 11-04-25

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । कृपया दिनांक.. के अंक में स्थानीय तीन समाचार पत्रों में उपर्युक्त सूचना के प्रकाशन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ।

प्रतिलिपि :–मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, राँची जिला के प्राचार्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :–सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अपने अधिनस्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रतिलिपि : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड एवं राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची की सेवा में सूचनार्थ समर्पित ।

11/04/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
राँची